महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – बावनवां संस्करण (माह फरवरी, 2020)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता राजमिस्त्री प्रशिक्षण के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन
3. सफलता की कहानी – सेनेटरी नैपकिन रिपेकेजिंग यूनिट, संत रविदास आजीविका स्व सहायता समूह
4. "Development of Module for Capacity Building of Elected Representative from Tribal Communities" विषय पर कार्यशाला
5. कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं
6. सफलता की कहानी
7. सफलता की कहानी (प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण)
8. गांव के विकास में मददगार बनेगी युवा ग्राम शक्ति समिति
9. लोक चित्र से स्वच्छता संवाद
10. सामाजिक अंकेक्षण (काव्य रचना)
11. मैं कबाडी हूँ '' – स्वच्छता में एक नवाचार

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
श्री संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed by Jay Shrivastava and Ashish Dubey, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का वावनवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2020 का दूसरा मासिक संस्करण है।

इस संस्करण विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल में श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत चल रहे राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को **''अपर मुख्य सचिव महोदय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में पीएमजीएसवाय–जी अंतर्गत राजमिस्त्री प्रशिक्षण के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन''** शीर्षक के माध्यम समाचार आलेख के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

साथ ही **''सफलता की कहानी – सेनेटरी नैपकिन रिपेकेजिंग यूनिट, संत रविदास आजीविका स्व सहायता समूह''**, **"Development of Module for Capacity Building of Elected Representative from Tribal Communities" विषय पर कार्यशाला, ''कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं''**, श्री श्याम वर्मा एक हाथ एवं एक पैर से दिव्यांग होनहार व्यक्ति द्वारा शासन की अत्यन्त महत्वकांक्षी योजना स्वरोजगार योजना से सहयोग प्राप्त कर अपने जीवन के बदलाव को **''सफलता की कहानी''** के रूप में प्रस्तुत किया है, साथ ही **''सफलता की कहानी (प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण)''**, **''गांव के विकास ने मददगार बनेगी युवा ग्राम शक्ति समिति''**, **''लोक चित्र से स्वच्छता संवाद''**, **''सामाजिक अंकेक्षण (काव्य रचना)''** एवं **''मैं कबाडी हूँ'' – स्वच्छता में एक नवाचार''** आदि आलेखों को भी इस संस्करण में शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण भरोसा है कि 'पहल' का यह संस्करण रूचिकर एवं कई विषयों पर आपको नवीन जानकारियां प्रदान करेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

अपर मुख्य सचिव महोदय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में पीएमएवाय–जी अंतर्गत राजमिस्त्री प्रशिक्षण के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन

विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल में श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत चल रहे राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के संबंध में दिनांक 02.01.2020 को समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा उक्त बैठक प्रदेश में चल रहे राजमिस्त्रियों प्रशिक्षण के संबंध में प्रशिक्षण प्रगति की समीक्षा की एवं उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके राजमिस्त्रियों का डाटा ''स्किल इंडिया पोर्टल'' पर शीघ्र अपलोड किया जावे एवं अपलोडिंग के पश्चात सीएसडीसीआई, नई दिल्ली द्वारा उक्त राजमिस्त्रियों का मूल्यांकन/परीक्षा भी शीघ्र पूर्ण कराई जावे।

बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा प्रशिक्षित राजमिस्त्री का मूल्यांकन/परीक्षा के पूर्व 10 दिवस का प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण/परीक्षा का अभ्यास करावें तथा यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा हेतु शेष प्रशिक्षित राजमिस्त्री शत्प्रतिशत् परीक्षा में उत्तीर्ण होवे।

बैठक में श्री दिलीप कुमार, संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण, भोपाल, श्री संजय कुमार सराफ, संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर, श्री राकेश शुक्ला, संयुक्त आयुक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण भोपाल, श्री शैलेन्द्र कुमार सचान, उपसंचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर, श्रीमती मनीषा दवे, उपायुक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण, भोपाल भी उपस्थित रहें।

सफलता की कहानी
सेनेटरी नैपकिन रिपेकेजिंग यूनिट, संत रविदास आजीविका स्व सहायता समूह

ग्राम लालावाड़ी, जनपद पंचायत आमला जिला बैतूल में कुल 17 स्वयं सहायता समूह संचालित हो रहे है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के सहयोग से इस क्षेत्र में स्व–सहायता समूहों द्वारा आजीविका के रूप में विभिन्न आर्थिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

ग्राम लालावाड़ी में संत रविदास आजीविका स्व सहायता समूह का गठन किया गया है। इस समूह में कुल 14 महिलायें सदस्य है। इस समूह का गठन वर्ष 2016 में हुआ था तब से ही इस समूह के सभी सदस्यों द्वारा बहुत ही अच्छे से आजीविका मिशन के सभी सूत्रों का पालन किया जा रहा है। इस समूह में श्रीमति सुशीला खातरकर समूह की अध्यक्ष एवं श्रीमति अनिता खातरकर सचिव का दायित्व निभा रहीं हैं।

समूह के सदस्यों से आजीविका मिशन कर्मियो द्वारा समय–समय पर आजीविका गतिविधि के विभिन्न विकल्पों की चर्चा समूह की साप्ताहिक बैठक में की जाती है। यूनिट की स्थापना हेतु समूह से चर्चा के दौरान समूह सदस्यों द्वारा यह इच्छा जाहिर की गई की उन्हें भी आजीविका गतिविधि के रूप में सेनेटरी नैपकिन रिपेकेजिंग यूनिट की स्थापना करना है। बैठक में समूह सदस्यों को सेनेटरी नैपकिन रिपेकेजिंग यूनिट की स्थापना की जानकारी दी गई।

समूह सदस्यों की मंशानुसार आजीविका मिशन के सहयोग से मण्डला जिले में संचालित सेनेटरी नैपकिन रिपेकेजिंग यूनिट का भ्रमण करवाकर प्रशिक्षण दिलवाया गया। इसके बाद ग्राम लालावाड़ी में इस समूह ने सेनेटरी नैपकिन रिपेकेजिंग की गतिविधि प्रारभं की दी।

समूह के पास उपलब्ध राशि से प्रदेश के जिला मण्डला से सर्व प्रथम 1600/–रू. का कच्चा माल लिया उनको 2200/–रू. का मुनाफा हुआ। अब तो समूह ने पूरी तरह मन बनाया और आगे अपने काम को तेजी से गति देने का निर्णय लिया।

सभी समूह सदस्यों का उत्साह देखते हुए जिला आजीविका मिशन द्वारा समूह सदस्यों को सेनेटरी नेपकीन की फैक्ट्री, भारतीय हाईजीन फेयर प्रायवेट लिमिटेड (एमआईडीसी) बुटीबोरी, नागपुर, महाराष्ट्र भेजा। वहां पर समूह सदस्यों ने सेनेटरी नेपकीन की रिपेकेजिंग की प्रक्रिया को देखा। आगे के लिए इस फैक्ट्री से कच्चे माल भी मिला।

वर्तमान में संत रविदास आजीविका स्व सहायता समूह का बैंक लिंकेज के द्वारा 1,00,000/– रूपये का सीसीएल, मिशन से प्राप्त रिवाल्विंग फण्ड 14,000/–, स्वयं की बचत 19,000/– इस प्रकार समूह के पास कुल 1,33,000/– रूपये की निधि उपलब्ध है। जिसमें से समूह द्वारा 1,04,500/– का कच्चा माल रिपेकेजिंग हेतु भारतीय हाईजीन फेयर

प्रायवेट लिमिटेड (एमआईडीसी) बुटीबोरी, नागपुर, महाराष्ट्र से मंगवाकर अपनी आजीविका गतिविधि संचालित की जा रही है। जिससे समूह को प्रतिमाह 15–20 हजार रूपये की आमदनी हो रही है।

समूह को मिली इस सफलता का श्रेय अपनी सूमह की दीदियों को देते हुये समूह अध्यक्ष श्रीमति सुशीला खातरकर एवं सचिव श्रीमति अनिता खातरकर द्वारा अत्यंत हर्ष से बताया जाता है कि, अगर आजीविका मिशन न होता तो हम कभी अपने पैरो पे खडे न हो पाते।

आजीविका मिशन की बैतूल ईकाई से मिली प्रेरणा और मार्गदर्शन से समूह सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ा और वे अपने गांव लालावाड़ी में सेनेटरी नैपकिन यूनिट की स्थापना करते हुए सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। समूह की अपनी

बचत, आजीविका मिशन से रिवाल्विगं फण्ड, बैंक से ऋण मिला जिससे यूनिट की स्थापना और संचालन में आर्थिक मदद मिली। कौशल उन्नयन के लिए समूह सदस्यों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। यूनिट के कामकाज को प्रत्यक्ष मण्डला और नागपुर में जाकर देखने का अवसर मिला।

ग्राम लालावाड़ी के संत रविदास आजीविका स्व सहायता समूह की सफलता की कहानी से सीखने मिलता है कि, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे स्व–सहायता समूह सदस्यों में आर्थिक गतिविधियों के संचालन करने की भरपूर क्षमता है और उनमें सफलता की अपार संभावनाएं हैं।

समूह सदस्यों को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उनकी क्षमताओं और संभावनाओं की पहचान की जावे। समूह सदस्यों से लगातार संवाद हो, उन्हें आवश्यकतानुरूप उचित सलाह और मार्गदर्शन दिया जावे।

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

"Development of Module for Capacity Building of Elected Representative from Tribal Communities" विषय पर कार्यशाला

जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली एवं UNDP के सहयोग से दिनांक 10.01.2020 को ''विजन महल'' होटल जबलपुर में "Development of Module for Capacity Building of Elected Representative from Tribal Communities" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला में संस्थान के संचालक, श्री संजय कुमार सराफ द्वारा मध्यप्रदेश पंचायतराज संस्थाओं के आगामी नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के कियान्वयन एवं नियोजन हेतु कार्योजना की जानकारी प्रदान की गई। संचालक द्वारा प्रदेश के पेसा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन हेतु कार्ययोजना की जानकारी दी गई।

अतिथि के रूप में श्री दीपक खाण्डेकर, सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से उपस्थित हुये।

साथ ही संस्थान में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् विकसित किये गये ''एम. पी. वनमित्र सॉफ्टवेयर विषय पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विशिष्ट

पंकज राय,
संकाय सदस्य

कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं

आजादी के 73 साल पूरे होने पर देश में कई मामलों में मुख्यतः कृषि व ग्रामीण क्षेत्र के विकास में, लंबी छलांग लगाई है। आज देश कृषि–आधारित उद्योगों का जाल बिछाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कृषि–आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सड़क, बिजली, पानी, आसान ऋण, सस्ती व तेज इंटरनेट सेवा की व्यवस्था मजबूत की जा रही हैं साथ ही, क्वालिटी टेस्टिंग लेब और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी दी जा रही है।

कृषि–आधारित उद्योग तुलनात्मक रूप से कम निवेश वाले, ग्रामीण क्षेत्रों में आय स्थापित करने और रोजगार प्रदान करने वाले होते है। ये उद्योग कृषि–आधारित कच्चे माल के प्रभावी और कुशल उपयोग की सुविधा प्रदान करते हैं। कृषि–आधारित उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में एक औधागिक संस्कृति का संचार करते हैं। और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिकीकरण और नवाचार लाते है। कृषि–आधारित कुछ उद्योगों जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थो में जबर्दस्त निर्यात क्षमता है। विकास प्रक्रिया में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कृषि–आधारित उद्योगों की स्थापना वक्त की जरूरत है।

विश्व में दूध, केला, आम, मसाले झींगा मछली और दालों के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। इसके अलावा अनाजों सब्जियों और चाय का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश में वर्श 2017–18 में 30.71 करोड़ टन बागवानी फसलों, 28.5 करोड़ टन खाद्यान्नों, 17.6 करोड़ टन दूध और 1.26 करोड. टन मछली और समुद्रों उत्पादों का उत्पादन हुआ। हमारे देश में फल और सब्जियों के प्रसंस्करण का वर्तमान–स्तर 2 प्रतिशत, पोल्ट्री उत्पादों का 6 प्रतिशत, समुद्री उत्पादों का 8 प्रतिशत और दूध का 35 प्रतिशत है यद्यपि विभिन्न कारणों से 30 से 35 प्रतिशत कृषि उत्पाद हर वर्श बर्बाद हो जाते हैं।

भारत विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आर्थिक विकास की दृश्टि से भारत में कृषि–आधारित उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रीय आय में 14.8 प्रतिशत के योगदान के साथ–साथ कृषि देश की 65 प्रतिशत आबादी को रोजगार व आजीविका भी प्रदान करती है। कृषि–आधारित उद्योग–धंधों में कपास उद्योग, गुड़ व खांडसारी, फल व सब्जियों–आधारित, आलू–आधारित कृषि उद्योग, सोयाबीन–आधारित, तिलहन–आधारित व खाद्य संर्वधन–आधारित आदि प्रमुख उद्योग है। पिछले कुछ वर्शो में दूसरे उद्योगों की भांति कृषि–आधारित उद्योगों में भी काफी सुधार हुआ है। हाल ही में कृषि–आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक सरकारी योजनाओं की शुरूआत की गई जिनमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राश्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्टार्टअप आदि प्रमुख है साथ ही कृषि–आधारित उद्योगों हेतु नई–नई प्रौधोगिकियां, तकनीकियां एवं उन्नत मशीनें विकसित की गई है। परिणामस्वरूप ग्रामीण युवाओं व किसानों का स्वरोजगार के साथ–साथ आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा देने में मदद मिली है। कृषि–आधारित उद्योगों हेतु कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना :–

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत 2020 तक एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। जो कम पढ़े–लिखे हैं या जो बीच में ही स्कूल छोड़ देते है। साथ ही, देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ा प्रशिक्षण देकर उनकी योग्यतानुसार रोजगार के काबिल बनाना है। जिससे युवाओं की तरक्की के लिए कुछ नयापन लाया जा सके। यह केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर से चलाई जाती है। इस योजना में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह प्रमाणपत्र पूरे देश में मान्य होता है।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना :–

इस योजना का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्र तक दक्ष आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन करना है। इसके अंतर्गत खाद्य प्रसंकरण में वृद्धि करना, खाद्य प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थो का निर्यात बढ़ाना, डेयरी व मत्स्य आदि कृषि उत्पांदों का मूल्य–संवर्धन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर का सृजन करन, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सुरक्षित करना आदि महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इस योजना के तहत लगभग 20 लाख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। सरकार प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत सरकारी अनुदान, नाबार्ड और मृद्रा योजना के तहत आसान शर्तो एवं सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशनः–

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयंसहायता समूहों के अंतर्गत अत्यंत गरीब परिवारों की महिलाओं को शामिल करने पर जोर देने से भी यह सुनिश्चित करने में मदद मिली है, कि गरीब परिवारों की अधिकाता वाले क्षेत्रों को ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में प्राथमिकता मिले। राश्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन–आज महिला शक्ति द्वारा ग्रामीण परिवार की महिलाओं को स्वंयसहायता समूहों के रूप में प्रशासनिक सहायता से संगठित किया जाता है और उन्हें किसी एक कार्य में कौशल प्रदान किया जाता है जिसमें आमदनी की पर्याप्त संभावना हो।

स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम :–

भारत सरकार ने कुशल और प्रशिक्षित युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अंतर्गत देश के हर जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा कृषि–आधारित उद्योग–धंधों के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

प्रशिक्षण के उपरांत ग्रामीण महिलाओं, युवाओं और किसानों को उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की सहायता से अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया जाता है।

वर्तमान समय में देशभर में कृषि–आधारित उद्यमों/स्टार्टअप की हर क्षेत्र में भरमार है जो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। एक तो यह कि युवा स्वरोजगार की ओर अधिक आकर्शित हैं। दूसरा वे कुछ नया करने का जुनून रखजते हैं। इसके अलावा, सरकार और सरकारी योजनाएं भी एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। वक्त की जरूरत को देखते हुए सरकार ने हर क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना :–

यह एक ऐसी पहल है जिसमें ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को हुनरमंद बनाया जा रहा है। इस तरह, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना युवाओं के लिए रोजगार के अपार अवसर प्रदान कर रही है। इसके अंतर्गत, सरकार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करती है। इसके बाद संबंधित उद्योग में उन्हें रोजगार दिलाने में भी सहायता करती है। यह एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत आज देशभर में ग्यारह सौ से ज्यादा प्रशिक्षण केंद्र काम कर रहे हैं जो लगभग 300 व्यवसायों में आधुनिक कौशल प्रदान करते है। इन केंद्रो द्वारा अब तक 2.70 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है जिनमें से लगभग 50 प्रतिशत उद्यमों में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं।

ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर सेटी) :–

देशभर में गरीबी दूर करने और ग्रामीणों को रोजगार व प्रशिक्षण देने हेतु ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) खोले जा रहे हैं। जिनमें कृषि संबंधी कार्यो के अलावा ग्रामीण उद्यमिता के अन्य व्यवसायों में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं इनका संचालन बैंकों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारे इसमें साझेदार हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देकर

स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। इसके बाद ग्रामीण युवा प्रशिक्षु के रूप में उद्योगों में प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना रोजगार आरंभ कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान भारत सरकार द्वारा युवाओं का पलायन रोकने में भी यह योजना कारगर और लाभदायक सिद्ध होगी।

एस्पायर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्श 2015 में इनोवेशन, ऑन्त्रप्रन्योरशिप (स्वरोजगार) और कृषि–आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरूआत की गई थी जिसे हाल में नए प्रावधानों के साथ अधिक उपयोगी बनाया गया है। इसके अंतर्गत वर्श 2019–20 के दौरान 80 आजीविका बिजनेस इनक्यूबेटर्स और 20 प्रौद्योगिकी बिजनेस इनक्यूबेटर्स स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। कुल 75,000 आकांक्षी उद्यमियों को कृषि–आधारित उद्योगों में प्रशिक्षण देकर कुशल बनाया जाएगा जिससे ग्रामीण क्षेत्र में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, दुग्ध पदार्थ, पशु आहार, दूध के संग्रहण और विपणन जैसे कृषि–आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिल सके।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाः–

देश के अनेक क्षेत्रों में जल संसाधनों की उपलब्धता के कारण किसान मछली पालन को अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। भूमि के एक छोटे से टुकड़े में तालाब बनाकर या तालाब को किराए पर लेकर भी व्यावसायिक ढंग से मछली पालन किया जा सकता है। मछली उद्योग से जुड़े अन्य कार्यो जैसे कि मछलियों का श्रेणीकरण एवं पैकिंग करना, उन्हें सुखाना एवं उनका पाउडर बनाना तथा बिक्री करने आदि से काफी लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है।

मेगा फूड पार्क योजना :–

देश के कई भागों में 'मेक इन इंडिया' योजना के अंतर्गत मेगा फूड पार्को की स्थापना की गई है। इससे वहां रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेगा फूड पार्क योजना का मूल उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और रिटेल कारोबारियों को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ने के लिए एक मशीनरी उपलब्ध कराना होता है। जिससे कृषि उत्पादों की बर्बादी को न्यूनतम कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सके। इससे ग्रामीण युवाओं व किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इस योजना का क्रियान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप कुशल आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन से युक्त आधुनिक आधारभूत संरचना का विकास होगा जिससे खेत का उत्पाद सीधे रिटेल आउटलेट तक पहुंच सकेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या कम करने के अलावा, देश और ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

एग्रीबिजनेस :–

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नाबार्ड के सहयोग से किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने और कृषि में आधुनिक तकनीकी अपनाने के लिए एग्रीबिजनेस कार्यकम्र की शुरूआत की है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों द्वारा फसल उत्पादन में नवीन प्रौधोगिकी व प्राप्त फसल उत्पादों का मूल्य संबर्धन करना है। इसके अंतर्गत, ग्रामीण युवाओं को कृषि तकनीकी और मैनेजमेंट तकनीकी के बारे में प्रशिक्षित करने के साथ–साथ स्वयं का एग्रीबिजनेस सेंटर स्थापित करने के लिए सक्षम बनाना है। इसके तहत, कृशि स्नातकों को कृषि के विभिन्न क्षेत्रों जैसे बागवानी, रेशम उद्योग, डेयरी उद्योग, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य

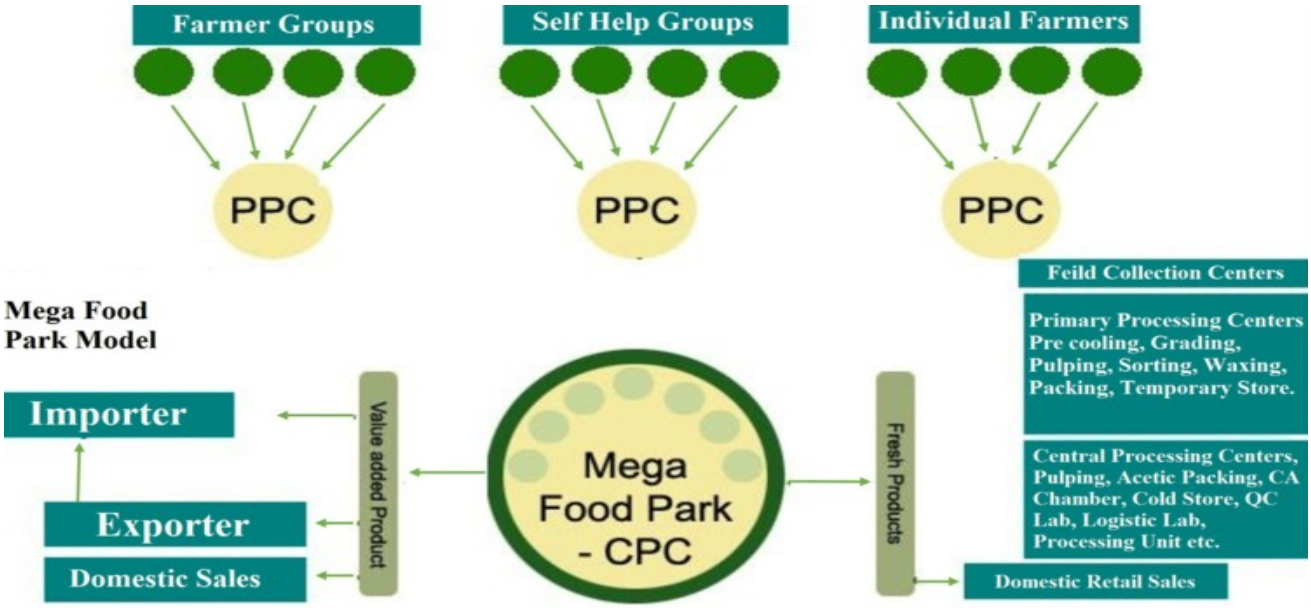

पालन इत्यादि कृषि संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। सरकार ने कृषि उद्यम स्थापना के लिए विशेश स्टार्टअप ऋण सहायता योजना आरंभ की है। इन केंद्रो के माध्यम से ग्रामीण और स्थानीय–स्तर पर लाखों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।

ऋण व्यवस्था

रोजगार सृजन में कृषि–आधारित उद्योगों की बहुत बड़ी भुमिका होती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योगों द्वारा ग्रामीण युवको को कम पूंजी से भी रोजगार मिल सकता है। कृषि–आधारित उद्योग–धंधों हेतु संसाधन जुटाने के लिए पूंजी व्यवस्था करने में ग्रामीण बैंकों के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कृषि विकास शाखाओं एवं सहकारी समितियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इन संस्थानों के माध्यम से कृषि– आधारित उद्योग धंधो को आरंभ करने हेतु सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण बेरोजगारो को कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है।

मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो में स्थापित किये जा रहे लघु उद्योग –

मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ की 68.5 प्रतिशत जनसंख्या कृषि आधारित कार्यो पर अपना जीवन यापन करती है और सरकार द्वारा इसी को ध्यान में रखते हुए अनेक कृषि आधारित उद्योगो को लगाने की कोशिश की गई है मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा स्थापित उद्योग अनेक स्थापित किये गए है जो कि इस प्रकार है ...

क्रमांक	स्थापित इकाईयों के नाम	उत्पादित वस्तुएं स्थान
01	डेयरी फार्म दुग्ध उत्पादन	बाबई
02	जीवाणु खाद्य संयंत्र राइजोबियम कल्चर एजेटोवेक्टर	भोपाल
03	एग्रो इंडस्ट्रीयल काम्प्लेक्स एवं निर्माण इकाई टेंकर, बैलगाड़ी ट्रेलर, अन्य कृषि उपकरण	सिहोर
04	पोषण आहार संयंत्र पोषण आहार	धार
05	एम.पी. एग्रो मोरार जी फर्टिलाइजर लिमिटेड दानेदार मिश्रित खाद इटारसी जिला	होशंगाबाद
06	कीटनाशक संयंत्र बी.एच.सी.डी. मेलाथियन एवं काल बोरिल	बीना
07	फल संवर्धन इकाई जेम, जैली, कैचप एवं पेय	भोपाल
08	पंजीरी संयंत्र पोषण आहार	ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर (प्रस्तावित)
09	ऑयल एवं पशु आहार संयंत्र सरसों तेल एवं पशु आहार	मुरैना
10	स्ट्रा बोर्ड मिल	शाजापुर
11	यंत्रीकृत कृषि प्रक्षेत्र प्रमाणित बीज रेशम उद्योग	बाबई

मध्यप्रदेश की प्रमुख फसले, उत्पादक जिले एवं उद्योगो की संभावनाएं –

मध्यप्रदेश जहाँ सोयाबीन भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित करता है वही प्रदेश के अनेक जिले है जो अलग–अलग फसल का उत्पादन करते है, जहां उनसे संबंधित उद्योग स्थापित कर रोजगार सृजन किया जा सकता है। मध्यप्रदेश की प्रमुख फसले, उत्पादक जिले एवं उद्योगो की संभावनाएं निम्नानुसार है –

क्र.	उत्पादित फसल का नाम	जिला	स्थापित किये जा सकने वाले उद्योग
1.	सोयाबीन	मालवा क्षेत्र	वनस्पति घी एवं आइल मिल
2.	गेंहू	होशंगाबाद, विदिशा, धार, उज्जैन	आटा मिल एवं बेकरी उत्पाद
3.	चना	होशंगाबाद, विदिशा, भोपाल, नरसिंहपुर	चना मिल एवं विभिन्न बेकरी उत्पाद
4.	चावल	बालाघाट, सिवनी, मण्डला, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी, भिण्ड	चावल मिल, मंगलोर टाइल्स (खपरैल), ब्रिक्स
5.	आलू	इंदौर, देवास, छिंदवाड़ा	चिप्स प्रोसेसिंग एवं होलसेल तथा खुदरा व्यापार
6.	कपास	धार, खण्डवा, खरगोन, बुरहानपुर, इंदौर	सूती कपड़ा एवं कृत्रिम रेशा
7.	गन्ना	नरसिंहपुर, बैतुल, छिंदवाड़ा	चीनी मिल
8.	सरसों	भिंड , मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर	आइल मिल
9.	मटर	जबलपुर, नरसिंहपुर	होलसेल एवं खुदरा व्यापार तथा संरक्षण करना
10.	अदरक	छिंदवाड़ा, खण्डवा, टीकमगढ़	पेस्ट, मसाला, होलसेल तथा खुदरा व्यापार
11.	धनिया	गुना, राजगढ़, मंदसौर	धनिया पाउडर, मसाला बनाना, होलसेल तथा खुदरा व्यापार
12.	अफीम	मंदसौर	दवाईयां
13.	लहसुन	रतलाम, मंदसौर, उज्जैन	आचार, चटनी, मसाला, होलसेल तथा खुदरा व्यापार
14.	प्याज	खंडवा, सागर, शाजापुर	होलसेल तथा खुदरा व्यापार

15.	मक्का	झाबुआ, धार, छिंदवाड़ा	आटा एवं बेकरी उत्पाद
16	ज्वार	छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खण्डवा, खरगौन, बडवानी, मंदसौर, शाजापुर, गुना, सिहोर	आटा एवं बेकरी उत्पाद
17	संतरा	छिंदवाड़ा, बैतुल	संरक्षण, होलसेल तथा खुदरा व्यापार
18	आम	रीवा, बैतुल	होलसेल एवं खुदरा व्यापार तथा विभिन्न उत्पाद
19	केला	बड़वानी	होलसेल एवं खुदरा व्यापार तथा चिप्स
20	अरहर	सीधी, छिंदवाड़ा, बैतुल, रायसेन	दाल मिल व्यापार
21	कोदो/कुटकी	डिण्डौरी, मण्ड़ला, खण्ड़वा	औषधीय अन्न
22	मूंगफली	खरगौन, खण्डवा, बड़वानी, छिंदवाड़ा, सिवनी	आइल मिल, पैकिंग सामग्री
23	गांजा	खण्ड़वा	दवाईयां
24	शकरकंद	टीकमगढ़, होशंगाबाद, छतरपुर	बेकरी उत्पाद
25	तिल	सीधी, छतरपुर, टीकमगढ़	आइल मिल
26	अलसी	रीवा, सीधी, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़	आइल मिल
27	मिर्च	खण्डवा, धार, खरगौन	पेकिंग मिर्च पाउडर एवं आचार

इस प्रकार प्रदेश में होने वाली कृषि उपजो के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में परिस्थिति अनुरुप व्यवसाय स्थापित किये जा सकते है। जिसके लिये शासन की उपरोक्तानुसार विभिन्न योजनाओं से मदद लिया जा सकता है तथा ग्रामीण क्षेत्रो में वेल्यू चेन बनाकर व्यवसाय स्थापित किये जा सकते है।

डॉ. त्रिलोचन सिंह
संकाय सदस्य

सफलता की कहानी

श्री श्याम वर्मा जाति पि.वर्ग के होकर एक हाथ एवं एक पैर से दिव्यांग है ये अपनी 2 बहनों एवं अपने पिता के साथ रहते हैं । इनकी माता का 10 वर्ष पूर्व निधन हो गया था श्री श्याम वर्मा द्वारा कक्षा 8 वीं तक शिक्षा प्राप्त कि हैं ।

इनके पिता स्वं सहायता समूह में समूह साथी का कार्य करते एवं 2 बीघा जमीन में कृषि का कार्य करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, किन्तु परिवार की आर्थिक स्थिति फिर भी अत्यंत कमजोर थी। श्री श्याम दिव्हांग होने की वजह से चाहकर भी अपने परिवार की मद्द नहीं कर पा रहे थे यह पूर्णत पिता पर ही निर्भर थे ।

शासन की अत्यन्त महत्वकांक्षी योजना स्वरोजगार योजना के बारे में इन्हें जानकारी जनपद में जाने पर संबंधित अधिकारी से प्राप्त हुई । इनके द्वारा सम्बधीत विभाग से सम्पर्क कर किराना व्यवसाय हेतु स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण प्रकरण किराना व्यवसाय हेतु राशि 1.00 लाख का तैयार कर क्षेत्र में लगने वाली एस.बी.आई गौतमपुरा को भेजा गया बैंक शाखा द्वारा इनका साक्षात्कार लेने के पश्चात संतुष्ठ होने पर इनका किराना व्यवसाय हेतु 1.00 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया, तथा जिला कार्यालय द्वारा इन्हें अनुदान भी प्राप्त हुआ । बैंक द्वारा किराना व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्त होने के पश्चात इनके द्वारा व्यवसाय बहुत ही अच्छी तरह से संचालित किया गया जिससे इन्हें अच्छी आमदानी प्राप्त होने लगी तथा बैंक में ऋण की किस्तें भी समय पर भरी जाने लगी है । अब यह अपनी दोनों बहनों को स्कूल में अच्छी तरह से पढा रहे हैं तथा इनके द्वारा 02 पहिया वाहन भी क्रय किया गया है।

शासन की योजना का लाभ होने से इनके परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है तथा शासन की अति महत्वपूर्ण योजना का लाभ प्राप्त होने से यह अत्यन्त ही खुश है तथा अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं ।

प्रकाश पुरकर
संकाय सदस्य

सफलता की कहानी (प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण)

श्रीमती कमलाबाई अपने परिवार के साथ ग्राम डकाच्या ग्राम पंचायत डकाच्या जनपद पंचायत सांवेर जिला इन्दौर में अपने पति स्वर्गीय जगदीश तथा दो बालकों के साथ गरीबी के साये में निवास करती थी कमला बाई का पति बैड बजाने का कार्य करता था गरीबी के हालात एवं बीमारी के कारण पति जगदीश के ऊपर काफी कर्ज हो गया था जिसके कारण पति जगदीश ने रेल से कटकर आत्महत्या कर ली गई कमला बाई के दो बेटे है एक बेटा बाहर मजदूरी का कार्य करता है एवं अपने परिवार के साथ रहता है, किन्तु अपनी मां को किसी भी प्रकार की मदद् करने में असमर्थ है । दूसरा पुत्र मानसिक रूप से मंदबुद्धि है।

कमला बाई का पुराना क्षतिग्रस्त मकान बडा ही जर्जर हालत में था उसे प्रधानमंत्री आवास के तहत वर्ष 2017–18 में स्वीकृति प्राप्त हुई तथा नियमानुसार राशि 1,20,000/– की प्रधानमंत्री आवास के तहत 15,000/– की राशि मनरेगा से तथा 12,000/– की स्वच्छ भारत मिशन से प्राप्त हुई जिसके सहयोग से कमला बाई ने अपना सुन्दर सा रैन बसेरा बनवाया है जो अति सुन्दर है ।

आज कमला बाई को पक्का मकान एवं खुद की छत तो प्राप्त हुई ही है जिससे समाज में भी उनकी स्थिति अच्छी हुई लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते है।

सुधा जैन,
संकाय सदस्य

गांव के विकास में मददगार बनेगी युवा ग्राम शक्ति समिति

राज्य शासन ने गांवो के विकास में ग्राम पंचायत तथा शासकीय विभागों को सहयोग प्रदान करने एवं समन्वयक स्थापित करने पंचायत स्तर पर युवा ग्राम शक्ति समिति का गठन करेगी। समिति में कुल 11 सदस्य होगें जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। समिति के सदस्यों का चयन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा की जावेगी प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपंरात जिला कलेक्टर द्वारा आदेश पंचायतवार जारी किये जावेगें।

राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग युवा ग्राम शक्ति समितियों के गठन के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। समितियों की गठन प्रक्रिया 5 दिसम्बर तक पूरी कर लेने तथा 20 दिसम्बर तक ग्राम पंचायत नगर समितियों के गठन संबंधित आदेश है। युवा ग्राम शक्ति समिति हेतु सदस्यों की आयु एक जनवरी 2019 की स्थिति में 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। समिति में कम से कम 6 सदस्य स्नातक एवं शेष सदस्य हायर सेकेण्डरी हो। ऐसी ग्राम पंचायत जहां शैक्षणिक स्तर कम है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल (कक्षा 10 वी) उत्तीर्ण निर्धारित की गयी है। सदस्य ग्राम की मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। सदस्य जिला स्तरीय पंचायतराज व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचित जनप्रतिनिधि न हो। समिति में न्यून्तम 3 महिलायें होना अनिवार्य है। सदस्य अजा एवं अजजा वर्ग से ग्राम पंचायत की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व होगा। ग्राम पंचायत का सचिव युवा ग्राम शक्ति समिति का समन्वयक होगा।

युवा ग्राम शक्ति समिति कमजोर वर्ग विशेष रूप से श्रमिक, पेंशनधारी, दिव्यांगजन,निराक्षित वृद्धजनों के कल्याण की योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन करेगें। ग्रामवासियों में व्याप्त सामाजिक बुराईयों की रोकथाम हेतु कार्य करना जैसे नशामुक्ति बाल विवाह जुआ सट्टा आदि पर रोकथाम पर कार्य करना।

ग्राम पंचायत की स्वंय की आय में वृद्धि एवं विकास के लिये विभिन्न करों एवं शुल्क जैसे सफाई जलकर प्रकाशकर भवन अनुज्ञा शुल्क सम्पतिकर को जमा करने के लिये प्रेरित करना। प्रतिवर्ष प्रत्येक विकास खण्ड से एक समिति को उत्कृष्ट कार्य संपादित करने पर एक लाख रूपये का पुरूस्कार प्रदान किया जायेगा। युवा ग्राम शक्ति समिति की बैठक तीन माह में एक बार अर्थात वर्ष में 4 बार आयोजित की जावेगी। प्रतिवर्ष सदभावना दिवस 20 अगस्त को विकास खण्ड स्तर पर युवा ग्राम शक्ति समितियों के सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। यह सम्मेलन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) करेगे शासकीय योजनाओं से लाभांवित होने वाले हितग्राहियों में पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर जनपद पंचायत एवं संबंधित विभाग को सूचना देने की जिम्मेदारी युवा ग्राम शक्ति समिति होगी।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास का मानना है कि निश्चित ही युवा ग्राम शक्ति समिति ग्राम पंचायत में ग्राम विकास के लिये सहायक सिद्ध होगी।

सी.के. चौबे
संकाय सदस्य

लोक चित्र से स्वच्छता संवाद

स्वच्छता की निरन्तरता के लिये लोक चित्र से स्वच्छता संवाद का जनजागरूकता अभियान इस अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में स्वच्छता संबंधी दीवाल पेंटिंग के चित्रात्मक संदेश को आमजन तक पंहुचान। अर्पित वर्मा आई.ए.एस. मुख्य् कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के कुशल मार्गदर्शन में प्रशिक्षित पेंटरो से तैयार लोकचित्रो में उत्कृष्ट 4 लोकचित्रो का चयन, गठित कमेटी के द्वारा किया गया। जनपद स्तरीय प्रशिक्षण में महिला पेंटरो को लोकचित्र से स्वच्छता संवाद अभियान के संबंध में अवगत कराया गया।

लोकचित्र से स्वच्छता संवाद जन जागरुकता अभियान में ग्राम पंचायतो में लोगो को स्वच्छता के बारे में जागरूक बढी । संचार माध्यम मे लोकचित्र के द्वारा लोगो पर ज्याादा प्रभावी रहा। लोकचित्र से स्वच्छता संवाद विषय क्र. 1 के द्वारा **''सब करे शौंचालय का उपयोग''** जनमानस में शौचालय का उपयोग को बढावा मिला। स्वच्छता संवाद विषय क्र. 3 **''सही समय पर हाथ धुलाई''** पर तैयार लोक चित्र ने विद्यालयो मे बच्चो को हाथ धुलाई के प्रति विशेष रूप से प्रेरित किया। विश्व हाथ धुलाई दिवस पर आयोजित विभिन्न् कार्यक्रमों में लोक चित्र से तैयार पेंटिंग के द्वारा इसके महत्व को बताया गया। स्वच्छता संवाद विषय क्र. 4 का **''कूडे–कचडे का सही निप्टान''** का संदेश ग्रामों में प्रेषित किया गया। इस लोकचित्र के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग न करने एवं इसके सही निस्तारण के लिये लोक चित्र के माध्यतम से प्रेरित किया गया। लोक चित्र से स्वच्छता संवाद विषय क्र. 2 शौचालय उपयोग से स्वास्थ्य जीवन के बारे में जनमानस को जागरूक किया गया।

जिला पंचायत रीवा

सामाजिक अंकेक्षण (काव्य रचना)

अनियमित्ता में हो अंकुश।
अंकेक्षण का यही है लक्ष्य।

करेगी ग्रामसभा इस रीति।
बन जायेगी अंकेक्षण नीति।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को।
लिख दो ढूढो सच्चाई को।

अब अधिकारी गढे समिति।
दी पंचायत सूचना जाती।

जांच समिति द्विय रूप की।
एक पंचायत एक अन्य विभाग की।

जांच समिति स्थल जाती।
अभिलेख सहयोग पंचायत दिलाती।

जांच अधिकारी प्रतिवेदन पाता।
ले सभा प्राधिकारी भिजाता।

जांच समिति दोषी पाती।
लिख दोषी को दण्ड दिलाती।

सभा जांच निर्दोष जताये।
लिखे इति प्रकरण हो जाये।

मनी न्याय की सही दिवाली।
हो गई अविकास की होली।

राजेन्द्र प्रसाद खरे,
संकाय सदस्य

मैं कबाडी हूॅ '' – स्वच्छता में एक नवाचार

स्वच्छता में भगवान का वास रहता है, स्वच्छता से हमारा स्वास्थ अच्छा रहता है। हम तन्दूरस्त और स्वस्थ रहते है, स्वच्छता को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना कर हम हमेशा निरोगी रह सकते है।

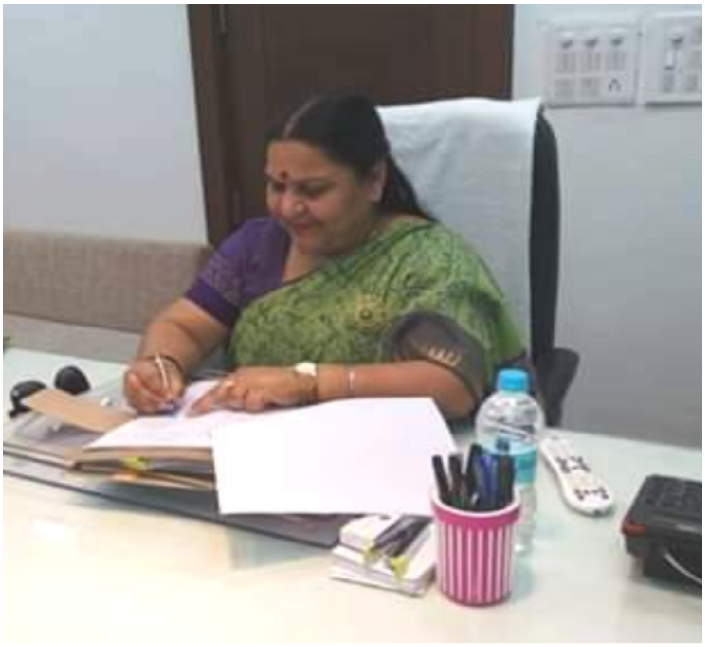

स्वच्छता , हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखती है, और प्रदूषण मुक्त वातावरण का निर्माण होता है।

महात्मा गांधी कहते थे कि ''राजनैतिक स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी स्वच्छता है'' ''यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता है'' ''बेहतर साफ–सफाई से ही भारत के गांवों को आदर्श बनाया जा सकता हैं '' इत्यादि।

इसका अर्थ यह हैं कि स्वच्छता का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है इसी मुद्दे को ध्यान में रखकर , मुरैना जिला प्रशासन ने स्वच्छता में एक नवाचार ''मै कबाडी हूॅ'' एक अभियान प्रारंभ किया गया।

कबाडी वह है जो, कबाडा,रद्दी, पेपर, प्लास्टिक, लोहा, गत्ता, लकडी इत्यादि जो एक कचरे के रूप में इकट्ठा होती है, उनको घरो–घरों से इकट्ठा कर, उसको बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है।

जिला प्रशासन का यह दृढ मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को आज एक ''जागरूक कबाडी'' की भूमिका में कार्य करना चाहिए, तभी हम स्वच्छता के प्रतिमानों को स्थापित कर सकते है।

इस अभियान के संबंध में चम्बल संभाग की आयुक्त श्रीमती रेणू तिवारी ने बताया कि मुरैना में एक माह तक ''मैं कबाडी हूॅ'' जागरूकता अभियान चलाया गया।

इस अभियान में समाज के आम नागरिको, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक सरोकार से जूडे लोगो से अपील की हैं कि इस सफाई अभियान से जूडकर मुरैना को साफ–सुथरा और स्वच्छ रखने में सहयोग दे।

हम सभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वी जयंती मना रहे है और महात्मा गांधी का भी यही सपना था कि भारत स्वच्छ, साफ सुथरा रहे। महात्मा गांधी के इसी सपने को साकार करने का विचार आया कि ''मै कबाडी हूँ'' नाम से सफाई अभियान चलाया जावे। इसमें सभी वर्गो के लोगों की भागीदारी होगी । पॉलिथिन, प्लास्टिक की बोतले, एवं अन्य कचरे को उठाकर नगर निगम के सुर्पद कराया जायगा।

इस सफाई अभियान का मुख्य उदेश्य सारे कचरे को हटाकर अपने नगर की सडको, घरों, दुकानो और व्यापारिक संस्थानों को साफ सुथरा रखना है । जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों और व्यापारिक और औद्योगिक प्रतिष्ठान के संचालको से अपील की हैं कि वे अपने घरों और दुकानों के बाहर डस्टविन आवश्यक रूप से रखें। इस अभियान में 24 विभागों के अधिकारी, कर्मचारी चरणवद्ध ढंग से नगर के एक–एक इलाके में पहुंगे। अभियान की शुरूवात आगरा –मुबई राजमार्ग स्थित बेरियर चौराहे से मुरैना रेलवे स्टेशन तक की जावेगी।

आयुक्त महोदय द्वारा चम्बल संभाग में ''मै कबाडी हूँ'' अभियान के अंतर्गत गोपी नाथ की पुलिया से वेयर हाउस मुरैना तक सफाई अभियान चलाया गया जिसमें जिला पंचायत, जनपद पंचायत मुरैना एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

संजय जोशी,
संकाय सदस्य